क्रम संख्या–51

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

उत्तराखण्ड शासन

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 16 मार्च, 2009 ई0

फाल्गुन 25, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 133 / XXXVI(3) / 2009 / 14(1) / 2009

देहरादून, 16 मार्च, 2009

### अधिसूचना

### विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] (संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 7 मार्च, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखंड का अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2009 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

### उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] (संशोधन) अधिनियम, 2009

(अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2009)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 का अग्रेतर संशोधन करने कि लिए

## अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 2 की उपधारा (ग) का प्रतिस्थापन

2. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

"(ग) 'पूर्व सैनिक' से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योधक या अनायोधक के रूप में सेवा की हो, और जो–

(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है; या

(दो) चिकित्सकीय आधार पर जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सकीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गयी है; या

(तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना निर्मुक्त किया गया है, या

(चार) विशिष्ट निर्धारित 'अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं:–

(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले;

(दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति; और

(तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।"